

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांक:-एफ14()एफसीए/उवसं/2017-18/ 948

दिनांक :- 24-1-18

निमित्त,

निदेशक विमानपत्तन
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
किशनगढ़ हवाई अड्डा(अजमेर)।

विषय:- Communication post for Airport Kishangarh.

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर के पत्र दि.15.01.2018
के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख हैं कि प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर के पत्र दि.15.01.2018 द्वारा ई.डी.सी. लगाई गई हैं जिसमें आपके कार्यालय से सम्बन्धित बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना पांच प्रतियों में अविलम्ब प्रस्तुत करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :- सम /

दिनांक :-

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, किशनगढ़ को प्रेषित कर लेख हैं कि प्रकरण में सन्दर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) के बिन्दु संख्या-5 के क्रम में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक संधारण हेतु निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना, स्थल उपर्युक्ता प्रमाण-पत्र एवं वृक्षारोपण स्थल की के.एम.फाईल, जी.टी. शीट और डी.जी.पी.एस. मानचित्र पांच प्रतियों में शीघ्र भिजवावें।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, होफ राजस्थान, जयपुर

F (RVPN) 14/2016/FCA/PCCF/ CCF -I Jaipur Dated 15.1.2018

Airports Authority of India Kishangarh के द्वारा अजमेर जिले के वनमण्डल अजमेर प्रादेशिक के ग्राम टोकडा में Airports Authority of India Kishangarh Airport. के निर्माण कार्य हेतु 0.0027 हेक्टर वन क्षेत्र के अनारक्षण के लिए online पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/Others/28844/2017 पर दिनांक 19.9.2017 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक अजमेर द्वारा प्रस्ताव के पार्ट I, II एवं III प्रस्तुत किये जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है :-

1. यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
2. यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव की प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं लगाये जाने वाले टावर का कास सेक्शन संलग्न नहीं किया गया है।
3. प्रस्ताव में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वार चार्ट संलग्न नहीं किया गया है।
4. उप वन संरक्षक अजमेर द्वारा प्रस्ताव के पार्ट II के बिन्दु संख्या 5 में कार्य आयोजना विवरण संलग्न नहीं किया गया है।
5. उप वन संरक्षक अजमेर द्वारा प्रस्ताव के पार्ट II के बिन्दु संख्या 13 में प्रस्ताव में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के संधारण हेतु निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना, स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र, एवं वृक्षारोपण स्थल की KML file, GT Sheet & DGPS map संलग्न नहीं किया गया है।

उप वन संरक्षक अजमेर द्वारा प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की गणना नहीं की गई है।

उप वन संरक्षक अजमेर द्वारा प्रस्तावित प्रत्यावर्तित भूमि का गजट नोटिफिकेशन संलग्न नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार सूचना भिजवाने हेतु मुख्य वन संरक्षक अजमेर को निर्देशित किया जाता है।

F.C.A.
①



(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR